न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, खेतडी, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – प्रेम सिंह धनवाल,
जिला न्यायाधीश संवर्ग

आपराधिक विविध (जमानत) प्रार्थना पत्र संख्या–66/2026
CIS NO. Bail Appl./66/2026

सुरेन्द्र सिंह उर्फ खिन्नू पुत्र तेज सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी वार्ड नं0–11 बडाऊ, पुलिस थाना खेतडी नगर, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, खेतडी, राजस्थान

जमानत प्रार्थना पत्र धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बसिलसिले प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–19/2025, पुलिस थाना खेतडी नगर, अपराध अन्तर्गत धारा–333, 324(6), 308(2), 351(2), 3(5) बीएनएस

उपस्थिति–
01. श्री दयाराम पटेल – अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
02. श्री मुकेश कुमार शर्मा – अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज0 राज्य

–:: आदेश ::–

दिनांक 16 मार्च, 2026

(01) यह तृतीय जमानत आवेदन पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ खिन्नू की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 07.03.2026 को अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

(02) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि–परिवादी गंगा सिंह पुत्र घूडसिंह ने पुलिस थाना खेतडीनगर के समक्ष उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि उसने और उसके सहयोगी नारायण सिंह पुत्र हेम सिंह दोनों ने मिलकर बडाऊ के बालाजी मार्केट में एक मिठाई की दुकान, जोधपुर मिष्ठान भण्डार के नाम से खोल रखी है। पिछले दो दिन से सुरेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह, सोनू सिंह पुत्र मांगु सिहं व सोनु सिंह पुत्र मुन्नी सिहं उसे फिरोती की धमकी दे रहे हैं। ये मुझसे रूपये 15,00,000/– रूपये की फिरौती मांग रहे है।

आज दिनांक 06.02.2025 को करीब 11.41 बजे में अपनी दुकान पर काम रहा था तब ही सुरेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह, सोनू सिंह पुत्र मांगु सिंह व सोनु सिह पुत्र मुन्नी सिंह उसकी दुकान पर धारदार हथियार व पिस्टल व लोहे के सरीये लेकर आए और पहले तो उस पर जानलेवा हमला किया। हमले से बचने के लिये वह काउंटर के नीचे की तरफ हो गया। फिर इन तीनों ने मिलकर उसकी दुकान को तोडफोड दिया। उसकी दुकान जितने भी शीशे के काउंटर रखे थे इन तीनों ने मिलकर सभी काउंटर को लोहे के सरीये से तोड़ दिये और उसकी दुकान की पुरी मिठाई लगभग 3 लाख की उसे भी तहस नहस कर दिया और उसे कहा की ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। जब तक फिरोती के 15,00,000/—रू नहीं देंगा तब तक ऐसे की चलता रहेगा, मंथली तो देनी ही पड़ेगी। उपरोक्त घटना घटित करने के बाद भी हमलावर बाज नहीं आये, फिर फोन पर उसे धमकी दी कि मंथली नहीं दी तो जान से हाथ थोना पड़ेगा इत्यादि।

(03) दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है तथा प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व लगाया गया आरोप नाकाबिले जमानत है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार में कमाने वाला अकेला व्यक्ति है, जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार के सम्मुख भूखे मरने की नौबत आ रही है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। गवाहान को विचलित करने का प्रश्न भी नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

(04) विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया तथा जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया।

(05) उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

(06) पत्रावली के अवलोकन से यह प्रगट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा—333, 324(6), 308(2), 351(2), 3(5) बीएनएस का आरोप है।

(07) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण **S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 13513/2020** जुगल बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 में दिए गए निर्देशानुसार विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड निम्नानुसार है—

क्र.सं.	थाना	एफआईआर नं0	धारा	न्यायालय
1	खेतडीनगर	165/2021	323, 341 भा0द0सं0	——
2	करधनी, जयपुर	31/2021	365, 384 भा0द0सं0	——
3	डीडवाना	65/2023	395, 341, 323 भा0द0सं0	——
4	हरमाड़ा, जयपुर	387/2024	3/25 आर्म्स एक्ट	——
5	औघोगिक नगर भिवानी	182/2024	420, 467, 468, 471, 511 भादसं	जेर अनुसंधान

(08) उपरोक्त आपराधिक रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व पूर्व में 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पत्रावली से प्रगट हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क कि प्रकरण में सह अभियुक्तगण सोहन सिंह उर्फ सोनू तथा सोनू सिंह की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और उसका प्रकरण सह अभियुक्त के प्रकरण से भिन्न नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक दृष्टांत खेत सिंह आदि बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये दिशा निर्देशों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में विचार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी से 15,00,000/—रूपए की फिरौती मांगने, परिवादी की दुकान पर धारदार हथियार से लैस होकर हमला करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार करने, परिवादी की दुकान के शीशे के काउन्टरों को तोड़ फोड कर रिष्टि कारित करने, उद्दापन करने, फिरौती की रकम नहीं देने पर परिवादी की दुकान को तोड़ फोड़ कर आपराधिक अभित्रास करने का आरोप है। इस संबंध में विचार किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एस.बी. क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन संख्या 8965/2025 में दिनांक 04.08.2025 को यह आदेश पारित किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व विभिन्न जिलों के अलग अलग पुलिस थानों में मामले दर्ज है, ऐसी स्थिति में आपराधिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए जमानत अस्वीकार की गई। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण सह अभियुक्त के प्रकरण से उच्चतर प्रकृति का होना प्रगट होता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त खेत सिंह बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों अंतर्गत जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(09) अतः प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों व प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रगट नहीं होता है।

आदेश

(10) परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ खिन्नू पुत्र तेज सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी वार्ड नं0–11 बडाऊ, पुलिस थाना खेतडी नगर, जिला–झुंझुनू, राजस्थान की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01
खेतडी, राजस्थान

(11) आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01
खेतडी, राजस्थान